संख्या-25/7/95-का-4-2006

प्रेषक,

बी.एन.दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ :: दिनांक :: 19 दिसम्बर, 2006

विषयः-उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ लिपिक के पदों पर नियुक्तियां किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, समसंख्यक शासनादेश दिनांक 29 जून, 2006 में यह निर्देश निर्गत किये गये थे कि उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ लिपिक के अवशेष रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ की जाय तथा ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा केवल अदीब-ए-माहिर परीक्षा उत्तीर्ण करने के कारण जिनकी सेवायें आस्थगन में रखी गयीं थीं, के द्वारा इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त, उनकी सेवायें बहाल करते हुए, वेतन का भुगतान किया जाय।

2. शासन के संज्ञान में लाया गया है कि जिनकी सेवायें आस्थगन में रखीं गयीं थीं, को बहाल करते हुए, वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। अतः इस संबंध में आपसे यह अनुरोध करने का मुझे पुनः निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 29 जून, 2006 के प्राविधानानुसार, अदीब-ए-माहिर परीक्षा उत्तीर्ण, ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गयी हो, की सेवायें बहाल करते हुए, उन्हें वेतन का भुगतान करने का कष्ट करें।

3. यह भी अनुरोध है कि कृत कार्यवाही की सूचना निर्धारित प्रारूप पर 15 दिन के अन्दर कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बी.एन.दीक्षित)
विशेष सचिव।

संख्या-25/7/95(1)का-4-2006, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(बी.एन.दीक्षित)
विशेष सचिव।

प्रपत्र

जनपद का नाम.....

क्रमांक	अभ्यर्थियों का नाम/अन्य विवरण जिनकी सेवायें आस्थगन में रखीं गयीं थीं।	अभ्यर्थियों का नाम एवं विवरण जिनकी सेवायें शासनादेश दिनांक 29.6.2006 के अनुपालन में बहाल करते हुए, वेतन का भुगतान किया जा रहा है।	अवशेष अभ्यर्थियों का विवरण /सेवा बहाल न करने का कारण।

हस्ताक्षर/मोहर जिलाधिकारी.....